उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 160 /VII-1/2018/76–रिट/13
देहरादूनःदिनांकः 23 फरवरी, 2018

(27)

कार्यालय ज्ञाप

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका सं० 2898/एम०एस०/2013 थानेश्वर प्रसाद बडोला बनाम राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 23.8.2017 को निम्न आदेश पारित किये गये हैंः–

> "The writ petition is allowed. Impugned Office Memorandum dated 29.10.2013 is quashed and set aside. Principal Secretary, Industries Development, Government of Uttarakhand is directed to decide the case of the petitioner by taking into consideration the recommendation of District Magistrate, within two months from today."

2. उक्तानुसार पारित आदेश के क्रम में याची श्री थानेश्वर प्रसाद बडोला, समीप गैस गोदाम, पौड़ी द्वारा उनके पक्ष में पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टे में खनन कार्य में लगाई गई रोक की अवधि कुल 08 माह 29 दिन की समयावृद्धि प्रदान किये जाने हेतु शासन स्तर पर दिनांक 7.9.2017 को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 27.09.2017 द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड तथा जिलाधिकारी, पौड़ी से आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देषित किया गया। प्रकरण में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–518/रिट–2898–एम०एस०–2013/खनन/भू०खनि०ई०/2017–18, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 एवं जिलाधिकारी, पौड़ी के पत्र संख्या–721/30–खनन/(2017–18), दिनांक 19 जनवरी, 2018 से प्राप्त आख्या के आलोक में प्रकरण की संक्षिप्त वस्तुस्थिति निम्नवत् है :–

(1) जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के आदेश संख्या–2037/30–24(2001–2002), दिनांक 31.5.2002 द्वारा श्री थानेश्वर प्रसाद बडोला पुत्र स्व० श्री बच्चीराम बडोला, समीप गैस गोदाम, पौड़ी के पक्ष में ग्राम भलगांव, पट्टी कटूल्स्यूं, तहसील श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल के प्लाट सं० 1 व 251 क्षेत्रफल 20 है० मध्ये 6 है० क्षेत्र (राजस्व भूमि) से स्वीकृत खनन पट्टे की अवधि दिनांक 31.5.2002 से दिनांक 30.5.2012 तक थी। श्री थानेश्वर प्रसाद बडोला द्वारा द्वारा राज्य सरकार की भूमि में स्वीकृत खनन पट्टे को निर्धारित अवधि दिनांक 30.5.2012 तक संचालित किया गया।

(2) श्री थानेश्वर प्रसाद बडोला के पक्ष में दिनांक 31.05.2002 से 30.05.2012 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत खनन पट्टा अवधि में जिलाधिकारी कार्यालय पौड़ी के आदेशों के क्रम में वर्षाकाल के कुल 08 माह 29 दिन तक खनन/चुगान बन्द किया गया।

(3) जिलाधिकारी, पौड़ी द्वारा पत्र संख्या–3017/30–5(2011–2012), दिनांक 26 जुलाई, 2012 द्वारा श्री थानेश्वर प्रसाद बडोला, पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे की अवधि के अन्तर्गत वर्षाकाल में खनन कार्य में रोक की कुल अवधि 08 माह 29 दिन की समयावृद्धि संबंधी प्रार्थना पत्र आवश्यक दिशा–निर्देश दिये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया गया।

(4) राज्य के समस्त नदी उपखनिज क्षेत्रों में वर्षाकाल में जल भराव होने के दृष्टिगत प्रत्येक वर्ष दिनांक 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक सामान्यतः उपखनिज का चुगान कार्य बन्द रखा जाता है, जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी, पौड़ी के आदेशों के तहत श्री थानेश्वर प्रसाद बडोला के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा अवधि के अन्तर्गत वर्षाकाल में कुल 08 माह 29 दिन तक खनन कार्य में रोक लगाई गई।

3. प्रकरण में जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या–3017/30–5(2011–2012), दिनांक 26 जुलाई, 2012 द्वारा श्री थानेश्वर प्रसाद बडोला, पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे पर वर्षाकाल में जिला प्रशासन द्वारा खनन कार्य में लगाई गई रोक की अवधि कुल 8 माह 29 दिन की समयावृद्धि संबंधी प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश दिये जाने हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया। श्री थानेश्वर प्रसाद बडोला द्वारा जिलाधिकारी, पौड़ी के उक्त संगत पत्र दिनांक 26.7.2012 में खनन कार्य में लगाई गई रोक की अवधि कुल 8 माह 29 दिन की समयावृद्धि प्रदान किये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका सं० 999/एम०एस/2013 थानेश्वर प्रसाद बडोला बनाम राज्य योजित की गई, जिसमें मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 14.5.2013 को निम्न आदेश पारित किये गयेः–

> "I dispose of the writ petition directing respondent No. 1 i.e. Principal Secretary, Industries Development, Dehradun to treat a copy of the writ petition as representation and decide the same upon hearing the petitioner. After hearing the matter, he shall pass a speaking order.
>
> Entire exercise shall be completed within a period of eight weeks from the date of communication of this order."

4. मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा उक्तानुसार पारित आदेश के अनुपालन में शासन स्तर पर दिनांक 24.10.2013 को सुनवाई के उपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–2471/VII-1-13/69–ख /2012, दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 द्वारा श्री थानेश्वर प्रसाद बडोला के पक्ष में ग्राम भलगांव, पट्टी कटूल्स्यूं, तहसील श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल के प्लाट सं० 1 व 251 क्षेत्रफल 20 है० मध्ये 6 है० क्षेत्र (राजस्व भूमि) में स्वीकृत खनन पट्टा, जिसकी अवधि 30.5.2012 तक नियत थी, को खनन पट्टा अवधि समाप्ति के उपरान्त वर्षा आदि में सुरक्षात्मक दृष्टि से खनन चुगान का कार्य स्थगित किये जाने एवं खनन पट्टा की निर्धारित अवधि समाप्ति के उपरान्त उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (समय–समय पर यथासंशोधित), 2001 में अतिरिक्त समयवृद्धि दिये जाने का कोई प्रावधान न होने के दृष्टिगत श्री थानेश्वर प्रसाद बडोला द्वारा मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका सं० 999/एम०एस/2013 को प्रत्यावेदन के रूप में ग्राह्य करते हुए याची श्री बडोला के प्रत्यावेदन दिनांक 20.5.2013 को बलहीन होने के उपरान्त खनन पट्टे की समयवृद्धि की मांग को अस्वीकार करते हुए निरस्त किया गया।

5. यह स्पष्ट है कि राज्य के समस्त नदी उपखनिज क्षेत्रों में वर्षाकाल में जल भराव तथा जान–माल की क्षति को रोकने के दृष्टिगत प्रत्येक वर्ष दिनांक 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक सामान्यतः उपखनिज का चुगान कार्य बन्द रखा जाता है, जिसके क्रम में सुरक्षात्मक दृष्टि से श्री थानेश्वर प्रसाद बडोला पुत्र स्व० श्री बच्चीराम बडोला, समीप गैस गोदाम, पौड़ी के पक्ष में जिलाधिकारी, पौड़ी के आदेश दिनांक 31.5.2002 द्वारा ग्राम भलगांव, पट्टी कटूल्स्यूं, तहसील श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल के प्लाट सं० 1 व 251 क्षेत्रफल 20 है० मध्ये 6 है० क्षेत्र (राजस्व भूमि) में स्वीकृत खनन पट्टे में दिनांक 31.5.2002 से दिनांक 30.5.2012 की पट्टावधि के दौरान वर्षाकाल में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न अवधियों में कुल 08 माह 29 दिन का खनन/चुगान कार्य बन्द/प्रतिबन्धित किया गया है।

अतः उपरोक्त स्थिति के आलोक में प्रकरण में उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत पट्टाधारक के साथ एक नियत अवधि हेतु निष्पादित पट्टाविलेख में पट्टे की नियत समयावधि दिनांक 31.5.2002 से दिनांक 30.5.2012 के मध्य किसी कारणवश अथवा वर्षाकाल की अवधि में चुगान कार्य बन्द/प्रतिबन्धित रहने के दृष्टिगत बन्द/प्रतिबन्धित अवधि को पट्टा विलेख में नियत अवधि के उपरान्त अग्रेत्तर समयवृद्धि दिये जाने का प्रावधान उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय–समय

पर यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 में न होने के कारण प्रश्नगत याचिका में याची श्री थानेश्वर प्रसाद बडोला पुत्र स्व० श्री बच्चीराम बडोला, समीप गैस गोदाम, पौड़ी के खनन पट्टे की नियत समयावधि, जो दिनांक 30.05.2012 को समाप्त हो चुकी है, में अग्रेत्तर आलोच्य अवधि (08 माह 29 दिन) के समयावृद्धि की मांग को अस्वीकार करते हुए इस संबंध में शासन को प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 7.9.2017 को तथ्यहीन एवं बलहीन होने के कारण एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव

संख्याः 160 **(1)/VII-1/2018 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल को रिट याचिका सं० 2898/एम०एस०/2013 थानेश्वर प्रसाद बडोला बनाम राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेश दिनाक 23.8.2017 के क्रम में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. श्री थानेश्वर प्रसाद बडोला पुत्र स्व० श्री बच्चीराम बडोला, समीप गैस गोदाम, पौड़ी गढ़वाल।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

21.02.18

(विनोद कुमार सुमन)
अपर सचिव